5/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्षकार वकील उपस्थित। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस मे बतलाया कि ~~[illegible]~~ हस्तगत प्रकरण मे मौजा तावीदर के खसरा नम्बर 408 रकबा 4.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर	[signature] [signature]

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

— PTO —

किस्म मुकदमा :- ....

मुकदमा नम्बर :- .... / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तारीख
	409 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 4.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 3.24 है. कुल रकबा 12.25 है. मे से ख. न. 412 रकबा 3.24 है. मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धांत से प्रेम पूर्वक कृषि भुमि विभाजन करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 साफ मुकर गये तथा मूल खातेदार चेना केवर एव उसके मुख्तीयारखाही प्रार्थीगण द्वारा निजी स्वामित्व के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 3.24 है. मे से पश्चिमी दिशा मे 2.113 है. रकबे मे आने वाली आराजी पर खेताई हेतु खेत की सफाई एव खुड़ करवा रहे थे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अनाधिकृत रूप से उक्त रकबे मे अवैध प्रवेश कर विभाजन करवाने से रोकने तथा मौके पर शक्ति पूर्वक कब्जा काश्त पे मूल खातेदार चेना केवर को जबरन दखलेदारी स्वयं द्वारा एव अन्य खातेदारान द्वारा करने तथा बिना बंटवारा करवाये अपरिचित लोगो को उक्त विशेष भु-भाग को अवैध तरीके से बेचान कर कब्जा भुमि लाठी के जोर पर खातेदार चेना कवर व उसके मुख्तीयारखाही को बल प्रयोग कब्जा काश्त से बेदखल कर देगे। इसलिए अप्रार्थीगण तमाम बल प्रयोग जबरदस्ती	

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

PTO

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	लाठी के जोर पर दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। बिना विभाजन करवाये अपरिचित लोगो को बेचान नही करें। खातेदार चंदा कंवर को काश्त करने से रोके नही व कोई पक्का एवं स्थाई निर्माण नही करें तथा लाईट कनेक्शन नही लेवे व प्रार्थीया चंदा कंवर की सहमति के बिना उसके खरीदशुदा रकबा 2.113 है. मे अवैध तरीके से प्रवेश नही करे तथा मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ सादिर फरमावें। अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी सं. 7 से 9 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र मे कोई अनुतोष नही चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब देना नही चाहते है तथा नही कोई आपत्ति की गई। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा बहस के तथ्यो पर मनन किया। मौजा लाखीपुर के ख. नं. 408, 409, 410, 412 रकबा क्रमश 4.34, 0.14, 4.53, 3.24 कुल रकबा 12.25 है. मे से पूर्ववर्ती खातेदार रायमल पुत्र भूरचन्द के 1/3 हिस्से मे से 2.113 हैक्टेयर की आराजी का कब्जा सुपुर्द कर नामान्तकरण प्रार्थीया चंदा कंवर पत्नि भवानीसिंह को बेचान दस्तावेज पंजीयन से दर्ज किया हुआ है। प्रार्थीया विधिक बंटवारा करवाना चाहती है। इसलिए विधिक बंटवारा	

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

किस्म मुकदमा :- ....

मुकदमा नम्बर :- .... / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	करवाये बिना किसी प्रकार का बैचान या दखलंदाजी कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने से ताफैसला वाद रोका जाना न्याय संगत है। तथा मूल वाद मे कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद तक प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती कि उभयपक्षकार मौजा तावीदर के खसरा नम्बर 408, 409, 410, 412 कुल रकबा 12.25 हैक्टेयर की राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.24 10:46:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: